न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम केशन्ता पत्नी चन्दर जाति गुर्जर नि.बिदरखा

मिसल न. 34/2023   निर्णय दिनांक-04.10.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागांव ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमी केशन्ता पत्नी चन्दर जाति गुर्जर निवासी बिदरखा तहसील लवाण ने ग्राम बिदरखा के आराजी खसरा नंबर 47/271 किस्म चरागाह कुल रकबा 0.07 है० मे से रकबा 0.07 है० एवं खसरा नंबर 48 मे कुल रकबा 0.61 है० मे से 0.20 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष खरीफ मे बाड़ा बनाकर व तार की बॉउन्ड्री लगाकर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी की तरफ से अतिक्रमण नहीं करने बाबत कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया । जिससे अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखती है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर बने बाड़े व तार की बॉउन्ड्री से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 2.43 रु. का 50 गुना 122 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक बनियाना एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल नयागांव को लिखा जावे निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 04.10.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। बाद तकमील [illegible] भण्डार हो ।

(राजेन्द्र मोहन)
तहसीलदार लवाण
तहसीलदार लवाण
जिला दौसा (राज.)
जिला दौसा(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2024.03.05 13:17:06 IST
Reason: Self Attested